FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अनमोलप्रीत कौर आदि **बनाम** रमनदीप सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 32 सन् 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/88

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2023	प्रार्थीगण अनमोलप्रीत कौर पुत्री रमनदीप सिंह जाति सैनी सिख निवासी 16 एफ एफ जरिए प्राकृतिक संरक्षक माता लखवीर कौर पत्नी रमनदीप सिंह जाति सैनी सिख निवासी 16 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.04.2023 को पेश हो।	
9/03/23	आज यह पत्रावली अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार ने वकालतनामा व प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी मे ली गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रकरण मे अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत निवेदन किया। अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष मे बनना प्रतीत होते हैं। अतः अप्रार्थी संख्या 1 रमनदीप सिंह मूलवाद के निर्णय तक चक 16FF की जमाबन्दी सम्वत २०७३ ता ७६ के खाता संख्या 67/63 के मुरब्बा नम्बर ४४ की कुल 6.135 हेक्टैयर भूमि की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे अर्थात इसका किसी प्रकार से बेचान हस्तान्तरण नहीं करे। यदि उक्त भूमि रहन है, तो बैंक मे राशि जमा कराने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने व राजस्थान कृषि ऋण परिपालन अधिनियम 1974 की कार्यवाही पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होगा। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	रमनदीप सिंह [illegible] 9/3/23

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:46:15 IST
Reason: SelfAttested